प्रस्तावित काँवड़ यात्रा मार्ग के लिये काटे गए वृक्ष

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अनुसार, प्राधिकारियों ने नया काँवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिये उत्तर प्रदेश के **गाज़ियाबाद, मेरठ और मुज़फ्फरनगर ज़िलों** में लगभग 17,600 वृक्ष काट दिये हैं।

मुख्य बिंदु

- **पृष्ठभूमि:**
  - इस वर्ष की शुरुआत में, NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,12,722 वृक्षों को काटने की योजना से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था।
  - बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई का उद्देश्य **गाज़ियाबाद के मुरादनगर और मुज़फ्फरनगर के पुरकाजी के बीच प्रस्तावित काँवड़ यात्रा मार्ग को सुगम बनाना था।**
- **अंतरिम रिपोर्ट के निष्कर्ष:**
  - अगस्त 2024 में, NGT ने इस परियोजना से जुड़ी **पर्यावरणीय चिंताओं की जाँच के लिये एक संयुक्त पैनल का गठन किया।**
  - **सिंचाई विभाग के आँकड़ों पर आधारित** रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रारंभिक अनुमति 1,12,722 वृक्षों को काटने की थी, लेकिन बाद में लक्ष्य घटाकर 33,776 कर दिया गया।
- NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या काटे जाने वाले वृक्षों की गणना उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अनुरूप है।
  - सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या सड़क निर्माण के लिये हटाए जाने वाले **पौधे और झाड़ियाँ जैसी अतिरिक्त वनस्पतियाँ अधिनियम की वृक्षों की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।**

काँवड़ यात्रा

- **यह भगवान शिव भक्तों** द्वारा **श्रावण माह** में किया जाने वाला एक **हिंदू तीर्थस्थल है।**
- भक्तगण उत्तराखंड में हरिद्वार, **गौमुख,** गंगोत्री, बिहार में **सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज,** अयोध्या **और** वाराणसी जैसे **तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं एवं** शिव का आशीर्वाद लेने के लिये काँवड़ में गंगा जल लेकर लौटते हैं।
  - जल को शिव मंदिरों में चढ़ाया जाता है, जिसमें भारत भर के 12 ज्योतिर्लिंग और उत्तर प्रदेश में पुरा महादेव मंदिर और औघड़नाथ, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर **जैसे अन्य मंदिर शामिल हैं। इस अनुष्ठान को जल अभिषेक के** नाम से जाना जाता है।

//

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- **मुख्यालय: नई दिल्ली (मुख्यालय)**, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है **(निर्णय बाध्यकारी हैं)**
- **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/trees-cut-down-for-proposed-kanwar-yatra-route